(ii) प्रजातियों का सुधार,

(iii) बारानी चावल फसल प्रबंध,

(iv) बारानी फसल प्रणाली और

फसल कटाई के बाद की

और किसानों के प्रशिक्षण
है । कार्यक्रम प्रमुख रूप से
होगा किन्तु इसमें उपयुक्त
पर भी मूल्यांकन किया
88 *Questions*
र उत्तर पूर्वी भारत में
4 प्रमुख
उप केन्द्रों पर चलाया
जायेगा । इस कार्यक्रम पर कुल अनुमानित परिव्यय लगभग 1.05 करोड़ रुपये होगा और यह कुल राशि अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के नई दिल्ली कार्यालय के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि द्वारा दी जायेगी । भा० कृ०अ०प० के द्वारा इस कार्यक्रम के लिए चुने गये प्रमुख केन्द्रों/उप केंद्रों पर पर्याप्त कर्मचारी और अन्य सहायी सेवाएं प्रदान की जायेंगी ।

(ख) इस करार के अतिरिक्त, भा० कृ०अ०प० ने अन्तर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परामर्शदात्री दल के अधीन चलाये जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्रों और कुछ देशों के राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान अभिकरणों के साथ 11 ऐसे ही और सहयोगी अनुसंधान करार किये हैं । इनमें से अधिकांश संतोषजनक रूप से काम कर रहे हैं और इनकी कार्यक्षमता का मूल्यांकन इस करार के अधीन कार्ययोजनाएं तैयार करते समय हस्ताक्षर कर्त्ताओं के द्वारा किया जाता है ।

(ग) बारानी चावल का उत्पादन मुख्य रूप से पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के विस्तृत क्षेत्रों तक सीमित है । बारानी शुष्क भूमि और बारानी उपराऊं से बारानी तराऊं भूमि तक-छिछला, मध्य और गहरा पानी भरने की दशाओं में भूमि की आकृतियों की अनेक दशाएं हैं । अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के साथ सतत सहयोगी अनुसंधान कार्यक्रम के अतिरिक्त, केन्द्र सरकार ने सातवीं योजना (1985–90) के दौरान 6 पूर्वी/उत्तर पूर्वी राज्यों के 430 चुने हुए विकास खण्डों में बारानी चावल का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लि
चावल उत्पादन कार्यक्रम शुरू
परिणामस्वरूप, इन विकास ख
बारानी चावल की उत्पादकता पहले ही
2–3 वर्षों में 50% तक बढ़ी है (एक
प्रति हैक्टर से 1.5 टन प्रति हैक्टर) ।

बिहार स्टेट कोआपरेटिव मार्केटिंग यूनियन में भ्रष्टाचार

4116. **श्री अशोक नाथ वर्मा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ संसद सदस्यों और भूतपूर्व संसद सदस्यों ने 7 नवम्बर, 1986 को सरकार को एक पत्र लिखकर बिहार स्टेट कोआपरेटिव मार्केटिंग यूनियन में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच करवाने की मांग की थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पूर्व में भी आसूचना ऐजेंसियों, सतर्कता विभाग, स्वयं विभाग द्वारा तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई जांच के बाद सारे आरोप प्रमाणित हो चुके हैं जिसको दबा दिया गया है ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार इस संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच करवाने का विचार रखती है ?

कृषि मंत्री (श्री जी० एस० ढिल्लों) : (क) से (ग) बिहार राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (बिसकोमान) एक सहकारी समिति है जो राज्य के सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत है । उस संगठन में भ्रष्टाचार आदि संबंधी मामलों को निपटाने के लिए राज्य सरकार सक्षम प्राधिकारी है । तदनुसार बिस्कोमान में भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों को राज्य सरकार द्वारा राज्य सतर्कता विभाग को भेज दिया गया है ।